

स्विमिंग पूल सुविधा के संचालन, रखरखाव एवं प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया**उद्देश्य:-**

8वीं बटालियन NDRF में निर्माणाधीन स्विमिंग पूल सुविधा के संचालन, रखरखाव एवं प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करना। यह स्विमिंग पूल सुविधा मुख्य रूप से सभी रैंकों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित की गई है। जब कोई प्रशिक्षण निर्धारित या संचालित नहीं हो रहा हो, तब अवकाश अवधि में सभी रैंकों के कार्मिकों के परिवारजन निर्धारित समय के अनुसार स्विमिंग पूल का उपयोग कर सकते हैं। स्विमिंग पूल को कार्यशील बनाए रखने के लिए इसका समुचित संचालन एवं सुरक्षा (गार्ड की निगरानी में) सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। तैराकी को सख्ती से केवल एक प्रशिक्षण गतिविधि के रूप में माना जाएगा, न कि मात्र मनोरंजन के लिए।

दायरा :-

यह SOP कमांडेंट, 8वीं बटालियन NDRF के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित स्विमिंग पूल सुविधा का उपयोग करने वाले सभी कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं एवं आगंतुकों पर लागू होगी।

पात्रता एवं प्रवेश नियंत्रण (Eligibility & Access Control):-

- केवल वैध पहचान पत्र (Identity Card) रखने वाले NDRF कार्मिकों को ही स्विमिंग पूल सुविधा का उपयोग करने की अनुमति होगी।
- नागरिकों तथा अन्य विभागों के कार्मिकों को केवल सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही इस सुविधा का उपयोग करने की अनुमति होगी।
- सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अधिकृत उपयोगकर्ताओं को स्विमिंग पूल प्रवेश पास (Swimming Pool Entry Pass) जारी किया जाएगा।
- परिवारों हेतु प्रवेश एवं सदस्यता कार्ड:** वाहिनी परिसर में निवासरत पदाधिकारियों के परिवारजनों एवं उनके आश्रितों को निर्धारित पारिवारिक तैराकी समय के दौरान स्विमिंग पूल सुविधा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रति परिवार सदस्य ₹100/- सदस्यता शुल्क देय होगी। उक्त सदस्यता शुल्क में आधिकारिक स्विमिंग पूल पहचान पत्र/प्रवेश कार्ड (Swimming Pool Identity/Access Card) जारी किया जाना शामिल होगा। पारिवारिक तैराकी समय के दौरान स्विमिंग पूल परिसर में प्रवेश केवल वैध पहचान पत्र/प्रवेश कार्ड प्रस्तुत करने पर ही अनुमत्य होगा।
- बच्चों को केवल उनके माता-पिता/अभिभावकों की उपस्थिति में तथा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के पश्चात ही अनुमति दी जाएगी।
- सभी उपयोगकर्ताओं के लिए चिकित्सीय स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (Medical Fitness Certificate) अनिवार्य होगा।

जिम्मेदारियाँ :-

पूल मैनेजर / इंचार्ज अफसर (प्रशिक्षण अधिकारी, 8वीं बटालियन NDRF): स्विमिंग पूल के संचालन का समग्र पर्यवेक्षण, नियमों के अनुपालन की निगरानी तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

- **एडजुटेंट (8वीं बटालियन NDRF):** स्विमिंग पूल भवन एवं सुविधा की समग्र सुरक्षा, संरचनात्मक सुरक्षा तथा गार्डिंग व्यवस्था के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- **कोर्स अधिकारी:** जिन पाठ्यक्रमों में स्विमिंग पूल का उपयोग आवश्यक होगा, उनके संचालन हेतु इन्हें नामित किया जाएगा। वे मुख्यालय NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार पाठ्यक्रम का संचालन करने, समग्र सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने तथा पाठ्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे।
- **कोर्स SO:** संचालित प्रत्येक पाठ्यक्रम के सुचारु संचालन, अनुशासन एवं सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
 - सत्र के समय का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे तथा दो बार घंटी बजाएँगे— पहली घंटी पूल से बाहर निकलने के संकेत हेतु तथा दूसरी घंटी (20 मिनट पश्चात्) सत्र को समाप्त करने हेतु।
 - प्रतिदिन शौचालय एवं चेंजिंग रूम का निरीक्षण करेंगे। यदि किसी फिटिंग में कोई खराबी पाई जाती है, तो उसकी सूचना तत्काल वर्क्स/प्रशिक्षण शाखा को देंगे।
 - यह सुनिश्चित करेंगे कि लाइफगार्ड/प्रशिक्षक प्रत्येक समय स्विमिंग पूल के निकट उपस्थित रहें तथा सदैव निर्धारित वर्दी में हों।
 - सभी व्यक्तियों को परिसर में गंदगी न फैलाने के लिए सख्ती से निर्देशित करेंगे तथा परिसर की स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
 - पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सभी रेस्क्यूअर्स के अनुशासन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे।

- प्रशिक्षण सत्रों के दौरान कतार व्यवस्था एवं सुरक्षा दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
- **मेंटेनेंस स्टाफ़:** प्रशिक्षण शाखा के अधीन प्रतिदिन सफाई, जल उपचार (Water Treatment) तथा उपकरणों के रखरखाव का कार्य करेंगे। गैर-परिचालन अवधि के दौरान निर्धारित सफाई एवं रखरखाव का कार्य करेंगे। वर्क्स शाखा विद्युत आपूर्ति तथा प्रमुख रखरखाव कार्यों का दायित्व निभाएगी।
- **प्रशिक्षक स्टाफ़:** प्रशिक्षण शाखा द्वारा नामित योग्य प्रशिक्षक (ADRC लेवल-II योग्य) स्वीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण संचालित करेंगे, अनुमोदित कार्यक्रम के अनुरूप पाठ्यक्रमों का संचालन करेंगे तथा अभिलेख एवं प्रगति प्रतिवेदन का संधारण करेंगे।
- **लाइफगार्ड/प्रशिक्षक के कर्तव्य:**
 - **निरंतर निगरानी:** सभी तैराकों की निगरानी हेतु स्विमिंग पूल पर निरंतर नजर रखें। त्वरित प्रतिक्रिया: किसी भी संकटग्रस्त या डूबते हुए व्यक्ति को बचाने हेतु तत्काल कार्यवाही करें।
 - **प्राथमिक उपचार एवं सीपीआर:** आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन चिकित्सा सहायता एवं सीपीआर प्रदान करें।
 - **सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना:** दौड़ने, उथले क्षेत्र में गोता लगाने अथवा किसी भी प्रकार की खतरनाक गतिविधि को सख्ती से रोकें। उपकरणों का निरीक्षण: सभी बचाव उपकरणों एवं प्राथमिक उपचार किट का प्रतिदिन निरीक्षण करें।
 - **व्यवस्था बनाए रखना:** स्विमिंग पूल क्षेत्र, डेक एवं आवागमन मार्गों को किसी भी प्रकार के खतरे से मुक्त रखें।
 - **घटनाओं की रिपोर्टिंग:** सभी दुर्घटनाओं अथवा सुरक्षा संबंधी घटनाओं का तत्काल अभिलेखीकरण एवं रिपोर्ट तैयार करें।
- **चिकित्सा सहायता एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया:**

सामान्य संचालन अवधि तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के दौरान: प्रशिक्षण शाखा के सभी प्रशिक्षक मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर (MFR) के रूप में प्रशिक्षित हैं, अतः स्विमिंग पूल परिसर में पृथक चिकित्सा स्टाफ एवं एम्बुलेंस की स्थायी तैनाती आवश्यक नहीं होगी। तथापि, स्थापित प्रथा के अनुसार चिकित्सा स्टाफ एवं एम्बुलेंस 'ऑन-कॉल/आपातकालीन स्टैंडबाय' आधार पर वाहिनी चिकित्सालय में उपलब्ध रहेंगे। किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु स्विमिंग पूल परिसर में एक प्राथमिक उपचार किट (First Aid Box)/MFR बैग सदैव उपलब्ध रखा जाएगा।
- **प्रशासनिक एवं सहयोगी स्टाफ़ (QM एवं वर्क्स शाखा):** प्रशासनिक एवं रखरखाव संबंधी सहायता कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।
- **वर्क्स शाखा (PNR शाखा):** स्विमिंग पूल की समुचित फिल्ट्रेशन, सफाई एवं रखरखाव सुनिश्चित करेगी। फिल्ट्रेशन प्लांट का संचालन करने वाला स्टाफ़ प्रतिदिन पूल O /I/C को रिपोर्ट करेगा। पम्प, फिल्टर एवं पाइपलाइन के त्रैमासिक निवारक रखरखाव (Preventive Maintenance) का कार्य करेगी।
- **शिविरपाल शाखा:** स्विमिंग पूल हेतु आवश्यक सभी उपकरणों की खरीद का समन्वय करेगी। स्विमिंग पूल परिसर के आसपास स्थित लॉन एवं पौधों के रखरखाव को सुनिश्चित करेगी।
- **SM / SO (Trg):** स्विमिंग पूल, शौचालय एवं चेंजिंग रूम की प्रतिदिन समुचित सफाई सुनिश्चित करेंगे।
- **टेलीकॉम शाखा:** स्विमिंग पूल परिसर में एक समर्पित एवं स्थायी आंतरिक दूरभाष (Internal Landline Telephone) सुविधा उपलब्ध होगी। उक्त दूरभाष सदैव कार्यशील अवस्था में रखा जाएगा तथा इसकी कार्यशीलता (Serviceability) की प्रतिदिन जाँच सुनिश्चित की जाएगी, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित संचार एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

नोट: प्रशिक्षण शाखा पाठ्यक्रम अवधि के दौरान तथा गैर-पाठ्यक्रम गतिविधियों के दौरान भी स्विमिंग पूल के उपयोग हेतु प्रशिक्षकों/लाइफगार्डों की डिटेलिंग करने, आवश्यक रजिस्टर प्रविष्टियाँ बनाए रखने तथा पाठ्यक्रम अवधि एवं ऑफ-ऑवर्स के दौरान स्विमिंग पूल को खोलने एवं बंद करने के लिए उत्तरदायी होगी।

संचालन संबंधी दिशा-निर्देश:

स्विमिंग पूल समय-सारिणी एवं पारिवारिक उपयोग नियम	
ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी (01 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक)	शीतकालीन समय-सारिणी (01 नवम्बर से 31 मार्च तक)
प्रशिक्षण / कोर्स समय (सोमवार, Wednesday से Saturday) प्रातःकालीन सत्र : 0800 बजे – 1030 बजे सायंकालीन सत्र : 1600 बजे – 1800 बजे	प्रशिक्षण / कोर्स समय (सोमवार, Wednesday से Saturday) प्रातःकालीन सत्र : 0845 बजे – 1245 बजे सायंकालीन सत्र : 1500 बजे – 1645 बजे
पारिवारिक तैराकी समय प्रातःकालीन सत्र : 0600 बजे – 0745 बजे	पारिवारिक तैराकी समय प्रातःकालीन सत्र : 0630 बजे – 0830 बजे

सायंकालीन सत्र : 1815 बजे – 2000 बजे	सायंकालीन सत्र : 1700 बजे – 1845 बजे।
प्रत्येक Tuesday रखरखाव दिवस होगा।	

Note: उपरोक्त समयावधि में मौसम की परिस्थितियों, प्रशिक्षण आवश्यकताओं, परिचालन प्रतिबद्धताओं, सुरक्षा संबंधी विचारों तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर सेनानी, 8वीं वाहिनी रा०आ०मो० बल द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

- **जल गुणवत्ता:** परिचालन अवधि के दौरान प्रतिदिन क्लोरीनीकरण (Chlorination), pH परीक्षण तथा जल गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। स्विमिंग पूल को भरने अथवा उसमें जल की पुनः आपूर्ति (Replenishment) से पूर्व, निर्धारित मानकों के अनुसार जल का समुचित उपचार एवं परीक्षण किया जाएगा। जल उपचार की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर अथवा किसी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से, वर्क्स शाखा, 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ के पर्यवेक्षण में संपादित की जाएगी।
- **स्वच्छता:** पूल डेक, चेंजिंग रूम एवं शॉवर की प्रतिदिन सफाई की जाएगी तथा प्रत्येक सप्ताह डीप क्लीनिंग एवं फिल्टर बैकवॉशिंग की जाएगी।
- **सुरक्षा:** परिचालन अवधि के दौरान प्रशिक्षक/लाइफगार्ड (प्रशिक्षण शाखा द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे) ड्यूटी पर रहेंगे। आपातकालीन उपकरण (लाइफ बॉय, स्ट्रेचर एवं प्राथमिक उपचार किट) सदैव तैयार रखे जाएंगे।
- **प्रशिक्षण शाखा:** स्विमिंग पूल के उपयोग एवं परिचालन समय का कार्यक्रम तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगी। (कमांडेंट, 8वीं बटालियन NDRF की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।)
- **मेडिकल शाखा:** आपातकालीन स्थिति में मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज (MO I/C) परिस्थितियों के अनुसार रोगी का उपचार स्थल पर अथवा MI रूम में करेंगे।
- **आधारभूत संरचना:** वर्क्स शाखा द्वारा पम्प, फिल्टर एवं पाइपलाइन का प्रत्येक तिमाही में निवारक रखरखाव (Preventive Maintenance) किया जाएगा तथा किसी भी खराबी की सूचना तत्काल दी जाएगी।

सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment)

- निम्नलिखित जीवनरक्षक उपकरण स्विमिंग पूल में सदैव उपलब्ध रहने चाहिए:

क्रम सं.	सुरक्षा उपकरण (Safety Equipment)	मात्रा
1	लाइफ बॉय/फ्लोटिंग ट्यूब	06
2	जीवनरक्षक जैकेट	10
3	नायलॉन रस्सी	50 मीटर
4	ऑक्सीजन सिलेंडर	01
5	फाइबर लॉग/बांस का डंडा (20 फीट)	02
6	श्वसन पुनर्जीवन मशीन (Resuscitating Breathing Machine)	01
7	औषधियों सहित प्राथमिक उपचार पेटी (First Aid Box)	01
8	स्विमिंग किक बोर्ड	10

प्रशिक्षण हेतु दिनों का साप्ताहिक आवंटन:

- सोमवार: प्रशिक्षण
- मंगलवार: रखरखाव दिवस (पूर्णतः डीप मेंटेनेंस हेतु।)
- बुधवार: प्रशिक्षण
- गुरुवार: प्रशिक्षण
- शुक्रवार: प्रशिक्षण
- शनिवार: प्रशिक्षण
- **रविवार एवं राजपत्रित अवकाश (GH):** इन दिनों कोई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित नहीं होगा। स्विमिंग पूल सुविधा का उपयोग सेनानी, 8वीं वाहिनी एनडीआरएफ द्वारा आवंटित विशिष्ट समय के दौरान सभी रैंकों के परिवारों द्वारा किया जा सकता है। इन समयों के दौरान मोबाइल फोन अथवा कैमरों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- **रखरखाव दिवस (Maintenance Day):** स्विमिंग पूल सप्ताह में छह (06) दिन संचालित रहेगा। प्रत्येक **मंगलवार** को सफाई, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा अन्य आवश्यक रखरखाव कार्यों हेतु निर्धारित रखरखाव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।

इस दिन किसी भी प्रकार की तैराकी, प्रशिक्षण अथवा स्विमिंग पूल से संबंधित अन्य गतिविधियों का संचालन नहीं किया जाएगा।

- **मौसम संबंधी प्रावधान:** सभी परिचालन एवं प्रशिक्षण का समय मौसम एवं मौसमी परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर 8वीं बटालियन NDRF के कमांडेंट निर्धारित समय के उपरांत भी प्रशिक्षण आयोजित करने संबंधी निर्देश जारी करेंगे।

प्रशिक्षण प्रोटोकॉल

- **प्रशिक्षण के स्तर:** प्रशिक्षण को बेसिक (जल सुरक्षा, फ्लोटिंग एवं श्वसन तकनीक), इंटरमीडिएट (स्ट्रोक एवं स्टैमिना), एडवांस्ड (प्रतियोगी तैराकी एवं रेस्क्यू ड्रिल) तथा स्पेशलाइज्ड (लाइफगार्ड प्रमाणन, CPR एवं रेस्क्यू तकनीक) स्तरों में विभाजित किया गया है।
- **पाठ्यक्रम हेतु समूह:** जब भी कोई पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कार्मिकों/रेस्क्यूअर्स को उनकी तैराकी दक्षता के आधार पर निम्नलिखित तीन पृथक समूहों में विभाजित किया जाएगा, ताकि उन्हें सुरक्षित एवं प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
 - **ग्रुप 'A':** इस समूह में सर्वश्रेष्ठ एवं दक्ष तैराक (Best Swimmers) शामिल होंगे, जिन्हें सीधे एडवांस्ड रेस्क्यू तकनीकों एवं सहनशक्ति (Endurance) का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
 - **ग्रुप 'B':** इस समूह में मध्यम स्तर के तैराक (Moderate Swimmers) शामिल होंगे, जिनकी तैराकी दक्षता में सुधार, स्ट्रोक परिष्करण एवं स्टैमिना बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
 - **ग्रुप 'C':** इस समूह में ऐसे रेस्क्यूअर्स शामिल होंगे जिन्हें तैरना नहीं आता (Non-Swimmers)। उन्हें कड़ी निगरानी में आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कराते हुए केवल बेसिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसमें जल सुरक्षा एवं फ्लोटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **सुरक्षा वर्गीकरण (बडी सिस्टम):** जो व्यक्ति तैरना नहीं जानते अथवा कमजोर तैराक हैं (ग्रुप 'C'), उनकी पहचान उनके स्विमिंग कैप के रंग (जैसे, पीली कैप) से स्पष्ट रूप से की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए पृथक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पर समुचित ध्यान दिया जाएगा।
 - अच्छे तैराकों (ग्रुप 'A') को कमजोर तैराकों के साथ 'बडी' (साथी) के रूप में तैनात किया जाएगा, ताकि वे सुरक्षा की प्रथम परत के रूप में कार्य कर सकें।
 - कमजोर तैराकों द्वारा प्रत्येक समय आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- **क्षमता सीमा:** आपातकालीन स्थिति में भ्रम से बचने के लिए स्विमिंग पूल में एक समय में कमजोर/गैर-तैराकों की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी तथा अच्छे तैराकों की संख्या 20-25 से अधिक नहीं होगी।
- **डाइविंग नियम:** दुर्घटनाओं से बचने के लिए, जब गहरे भाग में डाइविंग/कूदने का अभ्यास चल रहा हो, उस दौरान अन्य किसी प्रकार की तैराकी नहीं होगी। जो व्यक्ति उस समय तैराकी/डाइविंग नहीं कर रहे होंगे, वे अपनी बारी आने तक निर्धारित प्रतीक्षा क्षेत्र में बैठेंगे।
- **कार्यक्रम:** प्रतिदिन 1-2 घंटे का अभ्यास सत्र आयोजित किया जाएगा तथा साप्ताहिक प्रगति एवं मूल्यांकन किया जाएगा।
- **अभिलेख:** उपस्थिति रजिस्टर, प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रमाणन अभिलेखों का संधारण किया जाएगा।

आपातकालीन प्रक्रियाएँ:

- प्रशिक्षण अधिकारी/नामित अधिकारी की देखरेख में प्रत्येक माह रेस्क्यू ड्रिल आयोजित की जाएगी।
- आपातकालीन संपर्क नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- किसी भी घटना की सूचना तत्काल पूल मैनेजर/प्रशिक्षण अधिकारी, 8वीं बटालियन NDRF को दी जाएगी।
- किसी भी व्यक्ति को स्विमिंग पूल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी जब तक कि पूल आधिकारिक रूप से खुला न हो तथा लाइफगार्ड/प्रशिक्षक ड्यूटी पर उपस्थित न हों।
- तैराकों को लाइफगार्ड द्वारा जारी किए गए आपातकालीन संकेतों एवं निर्देशों का तत्काल पालन करना होगा तथा निर्देश मिलने पर पूल क्षेत्र को तुरंत खाली करना होगा।
- स्विमिंग पूल परिसर के भीतर होने वाली किसी भी चोट, दुर्घटना अथवा निकट-दुर्घटना (Near-Miss Incident) की सूचना तत्काल पूल प्रबंधन को दी जाएगी।
- **आपातकालीन निलंबन:** पानी में संदूषण (contamination), फिल्ट्रेशन प्लांट की तकनीकी खराबी, या अचानक बिजली चमकने/आंधी-तूफान की स्थिति में पूल मैनेजर / SO I/C के पास बिना किसी पूर्व सूचना के पूल संचालन को तुरंत निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित है।

अनुपालन एवं रिपोर्टिंग:

- जल गुणवत्ता के दैनिक लॉग पर पूल मैनेजर/प्रशिक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- सभी पाठ्यक्रम रजिस्टर, प्रशिक्षण अभिलेख, प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों का समुचित संधारण किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी के निरीक्षण/जांच हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

- आधारभूत संरचना की सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का वार्षिक ऑडिट किया जाएगा।

8. पूल अनुशासन एवं दायित्व (Pool Discipline & Liability)

- सभी उपयोगकर्ता जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करेंगे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो।
- अपमानजनक, अभद्र अथवा अशोभनीय भाषा का प्रयोग निषिद्ध है तथा ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति को स्विमिंग पूल सुविधा से निष्कासित किया जा सकता है।
- स्विमिंग पूल प्रबंधन व्यक्तिगत सामान अथवा मूल्यवान वस्तुओं की हानि, चोरी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- इस एस.ओ.पी. के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर तैराकी सुविधा के उपयोग पर रोक तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

क्या करें (Do's)

- स्विमिंग पूल में प्रवेश करने से पूर्व अच्छी तरह स्नान करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित स्विमवियर/स्विमसूट ही पहनें। सामान्य अथवा अनौपचारिक वस्त्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- सभी प्रशिक्षु अपना स्विमसूट स्वयं लाएंगे। बिना स्विमिंग कैप के किसी भी व्यक्ति को स्विमिंग पूल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी तथा कमजोर तैराकों (ग्रुप 'C') के लिए पीले रंग की कैप पहनना अनिवार्य होगा।
- प्रत्येक समय लाइफगार्ड, कोर्स SO, कोर्स अधिकारी एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षक के निर्देशों का पालन करें। सभी प्रशिक्षु प्रशिक्षकों का सम्मान करें तथा उनसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करें।
- प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन बनाए रखें तथा कतार व्यवस्था का पालन करें।
- किसी भी चोट, बीमारी अथवा उपकरण की खराबी की सूचना तत्काल दें।
- स्विमिंग पूल में प्रवेश करने से पूर्व त्वचा संबंधी बीमारी/समस्या की जांच 8वीं बटालियन के मेडिकल ऑफिसर (MO) से कराकर उनका प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- यदि बच्चे इस सुविधा का उपयोग कर रहे हों, तो उनके पिता/अभिभावक द्वारा एक इंडेमनिटी फॉर्म (Indemnity Form) भरना अनिवार्य होगा।
- जब बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों अथवा स्विमिंग पूल के निकट हों, तब माता-पिता/अभिभावक द्वारा उन पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी।
- अभिलेखों को प्रतिदिन अद्यतन करें तथा उन पर हस्ताक्षर करें।
- स्विमिंग पूल में प्रवेश करते समय अथवा बाहर निकलते समय पूल डेक पर उपलब्ध सीढ़ी का उपयोग करें।
- ऐंठन (Cramps), थकान अथवा किसी भी प्रकार की शारीरिक असुविधा होने पर तुरंत लाइफगार्ड से सहायता प्राप्त करें।

क्या न करें (Don'ts)

- अकेले तैराकी न करें।
- अपनी तैराकी क्षमता का अधिक आकलन न करें।
- डूबने की झूठी अथवा नकली स्थिति का प्रदर्शन न करें।
- जब तक आप प्रशिक्षित एवं सक्षम न हों, किसी बचाव अभियान (Rescue Operation) का प्रयास न करें।
- लंबे समय तक पानी के भीतर तैरने अथवा सांस रोककर तैरने का अभ्यास न करें।
- स्विमिंग पूल में प्रवेश करने से पूर्व शरीर पर तेल, लोशन अथवा क्रीम का प्रयोग न करें।
- पूल के पानी में धूँके नहीं तथा नाक साफ न करें।
- स्विमिंग पूल परिसर में पालतू पशुओं को न लाएं।
- भूखे, अत्यधिक थके हुए, अत्यधिक गर्मी से प्रभावित होने की स्थिति में अथवा भोजन करने के एक घंटे के भीतर तैराकी न करें।
- तैराकी करते समय अंगूठी, चैन, चूड़ियां, कड़ा, मौली अथवा इसी प्रकार के अन्य आभूषण न पहनें।
- स्विमिंग पूल परिसर में कूड़ा-कचरा न फैलाएं।
- बच्चों को स्विमिंग पूल के निकट कभी भी बिना निगरानी के न छोड़ें।
- स्विमिंग पूल के आसपास अथवा उसके अंदर दौड़ें नहीं, किसी को धक्का न दें तथा किसी भी प्रकार की शरारत या हुड़दंग न करें।
- स्विमिंग पूल परिसर में भोजन, शराब अथवा तंबाकू का सेवन न करें।
- इस सुविधा के किसी भी भाग (शौचालय एवं चेंजिंग रूम सहित) में धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- डेक पर लाइफगार्ड की भौतिक उपस्थिति के बिना स्विमिंग पूल में प्रवेश न करें।
- स्विमिंग पूल के निकट कांच की बोतलों अथवा नुकीली वस्तुओं का उपयोग न करें।
- निर्धारित रखरखाव अथवा रासायनिक उपचार (Chemical Treatment) के दौरान स्विमिंग न करें।

- सुरक्षा अभ्यास (Safety Drill) अथवा प्रशिक्षण संबंधी निर्देशों की अनदेखी न करें।
- स्विमिंग पूल की मशीनरी, पम्प, वाल्व अथवा विद्युत उपकरणों के साथ छेड़छाड़ न करें।
- स्विमिंग पूल परिसर में किसी भी प्रकार के रिक्रेशमेंट (खाद्य एवं पेय पदार्थ) लाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।
- पाँच फीट से कम ऊंचाई वाले कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को स्विमिंग प्रशिक्षण की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि कोई विशेष छूट प्रदान न की गई हो।
- सभी रैंकों और परिवार के सदस्यों के लिए स्विमिंग पूल डेक और चेंजिंग रूम के अंदर मोबाइल फोन या कैमरे का उपयोग करना सख्त मना है (ट्रेनिंग ब्रांच द्वारा अधिकृत आधिकारिक प्रशिक्षण दस्तावेज़ीकरण को छोड़कर)।

(पूल रसायनों के भंडारण एवं रखरखाव में सावधानियां)

☑ क्या करें (Do's)

- लेबल पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनका पालन करें; यदि कोई बात समझ में न आए तो सहायता के लिए अपने आपूर्तिकर्ता (Supplier) से संपर्क करें।
- रसायनों को ठंडी, सूखी एवं सुरक्षित जगह पर प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश से दूर रखें।
- सुनिश्चित करें कि रसायन बच्चों एवं पालतू पशुओं की पहुंच से दूर रखे जाएं।
- रसायनों को केवल उनके मूल कंटेनरों में ही संग्रहित करें।
- उपयोग में न होने पर कंटेनर को अच्छी तरह बंद रखें।
- प्रत्येक रसायन के लिए अलग एवं साफ प्लास्टिक या धातु के मापने वाले कप का उपयोग करें।
- ऑक्सीडाइज़र एवं अम्ल (Acids) को अलग-अलग शेल्फ पर रखें, क्योंकि इनके संपर्क में आने पर क्लोरीन गैस निकल सकती है।
- तरल पदार्थों को पाउडर एवं ठोस पदार्थों के नीचे रखें।
- दस्ताने, सुरक्षात्मक चश्मे तथा एप्रन या कार्य हेतु उपयुक्त वस्त्र जैसे सुरक्षात्मक उपकरण पहनें।
- रसायनों का उपयोग करते समय उन्हें नमी से बचाएं। तरल पदार्थों को दूर रखें। यहां तक कि गीले स्कूप को वापस बाल्टी में रखने से भी रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है।
- हमेशा रसायन को पूल के पानी में मिलाएं; कभी भी पानी को रसायन में न मिलाएं।
- किसी भी रसायन को संभालने के बाद अपने हाथों को बहते पानी से कुछ मिनट तक अच्छी तरह धोएं।

☒ क्या न करें (Don'ts)

- बिना लेबल वाले कंटेनर की सामग्री का उपयोग न करें।
- कंटेनरों का पुनः उपयोग न करें। खाली कंटेनरों को धोकर उचित तरीके से नष्ट करें।
- गिरे हुए रसायनों को पुनः उनके मूल कंटेनर में न डालें, क्योंकि इससे संदूषण (Contamination) हो सकता है।
- दो या दो से अधिक विभिन्न रसायनों को आपस में न मिलाएं।
- लकड़ी के स्कूप का उपयोग न करें, क्योंकि लकड़ी छिद्रयुक्त होती है और उसे पूरी तरह साफ नहीं किया जा सकता।
- बिना धुले हुए रसायनों को नंगे हाथों से न छुएं।
- किसी भी रसायन को अपने सिर की ऊंचाई से ऊपर न रखें।
- रसायनों को संभालते समय धूम्रपान न करें।
- रसायनों को गर्मी या खुली आग के संपर्क में न आने दें।
- ऑक्सीडाइज़र और संक्षारक (Corrosive) रसायनों को एक-दूसरे के बिल्कुल पास न रखें।
- पूल रसायनों को पेट्रोल, ग्रीस, टरपेंटाइन, पेंट, थिनर या अन्य ज्वलनशील पदार्थों के पास न रखें।
- रासायनिक आग बुझाने के लिए ड्राई केमिकल अग्निशामक यंत्र का उपयोग न करें। इसके बजाय अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करें। यदि आग पर तुरंत नियंत्रण न पाया जा सके तो क्षेत्र को खाली कर दें और अग्निशमन विभाग को बुलाएं।

(डाइवर्स के लिए नियम)

- डाइविंग उपकरण (सीढ़ी सहित) पर एक समय में केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति होगी।
- डाइवर को बोर्ड के अग्रभाग से सीधे आगे की ओर डाइव लगानी होगी।
- डाइवर को बोर्ड पर केवल एक बार उछाल (स्प्रिंग) लेने की अनुमति होगी।
- पानी की सतह पर आने के बाद तुरंत निकटतम सीढ़ी की ओर तैरें। किसी भी स्थिति में बोर्ड के नीचे तैरकर न जाएं।
- प्रत्येक डाइवर को तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक उससे पूर्व डाइव लगाने वाला व्यक्ति सतह पर आकर सीढ़ी तक न पहुंच जाए।
- डाइविंग क्षेत्र में सामान्य तैराकी की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि स्टाफ द्वारा डाइविंग बोर्ड को बंद घोषित न कर दिया जाए।
- तीन मीटर बोर्ड अथवा प्लेटफॉर्म से उथले पानी की ओर लंबी अथवा विस्तारित डाइव लगाना प्रतिबंधित है।
- डाइविंग बोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति को बिना सहायता के सीढ़ी तक तैरकर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।